सदन में उत्तर देने का दि. - 16/3/21 संशोधित प्रश्न क्र. - 1673 परिशिष्ट [16/3/2021]

मान. विधा. श्री विजय विनोद प्रश्न सं. [क्र. 1673]

मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी, 2004.

//अधिसूचना//

क्रमांक एफ 2-21/2003/सात/शा.6 ,मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-21-सात-शा.6-99 दिनांक 18 जुलाई 2000 को, जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 28 जुलाई 2000 में प्रकाशित की गयी थी, अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा उक्त, संहिता की धारा 146 तथा 147 के अधीन तहसीलदार की शक्तियां, अपर अधीक्षण यंत्रियों, कार्यपालन यंत्रियों, अपर कार्यपालन यंत्रियों, सहायक यंत्रियों तथा कनिष्ठ यंत्रियों या मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल या विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के वितरण केन्द्रों के भारसाधक सहायक यंत्रियों को प्रदत्त करती है जिनका वे उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, मध्यप्रदेश सरकारी विद्युत उपक्रम (शोध्य राशि वसूली) अधिनियम, 1961 (क्रमांक 36 सन् 1961) की धारा 6 की उपधारा (1) में यथा उपबंधित विद्युत शोध्यों, शास्ति तथा वसूली के व्यय के बकाया की, भू राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली करते समय प्रयोग कर सकेंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ताक्षर- ओ0पी0 तोमर
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल 28 फरवरी 2004

क्रमांक एफ 2-21/2003/सात/शा.6 भारत के संविधान के अनुच्छेदन 346 के खंड (3) के अनुशरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-21/2003/सात/शा.6 दिनांक 28 फरवरी 2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ताक्षर- ओ0पी0 तोमर
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन
भोपाल

TIWARI.K
rev 160404